



अधिसूचना (संशोधित)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा 4 के प्राविधानानुसार प्रो० रमापति मिश्रा, संकायाध्यक्ष, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संकाय के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से प्रो० चयन कुमार मिश्रा को इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संकाय के संकायाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। इस हेतु प्रो० मिश्रा को अलग से कोई मानदेय देय नहीं होगा।

उक्त कार्यकाल दिनांक-07.04.2023 तक अथवा अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने तक अथवा इस सम्बन्ध में कोई अग्रिम आदेश निर्गत होने तक, जो भी पूर्व में हो, तक होगा।

पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं०: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2020 / 1720 दिनांक 31.10.2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(उमानाथ)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रो० चयन कुमार मिश्रा, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
2. प्रो० रमापति मिश्रा, निदेशक, आई०ई०टी०, संस्थान।
3. विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष।
4. मुख्य कुलानुशासक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
5. परीक्षा नियंत्रक/उप-कुलसचिव।
6. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. आशुलिपिक कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
8. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
9. पत्रावली।

(उमानाथ)
कुलसचिव